भारत सरकार की सहायता से संचालित

प्रधानमन्त्री मत्स्य सम्पदा योजना

पात्रता हेतु नियम व शर्तें

वेबसाइट–https://fisheries.up.gov.in/

हेल्पलाइन नंबर 0522–2740270

सौजन्य से– मत्स्य विभाग, उ0प्र0

क्र0 सं0	घटक / परियोजनायें	इकाई लागत (रूपये में)	पात्रता के नियम एवं शर्ते
1	**उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि**		
1	अन्तर्स्थलीय मात्स्यिकी और जलकृषि का विकास		
1.1	फिनफिश हैचरी की स्थापना	25.00 लाख / यूनिट	• आवेदक के पास कम से कम 0.5 हे0 निजी भूमि या आवेदन प्रेषित करने के समय 10 वर्ष रजिस्टर्ड पट्टा की भूमि होनी चाहिए। • लाभार्थी अंश के रूप में धनराशि का व्यय करने हेतु बैंक का स्वीकृति पत्र या स्वयं के संसाधनों से करने हेतु सहमति पत्र देना होगा। • हैचरी में समस्त आवश्यक कम्पोनेंट मानक के अनुसार बनाना अनिवार्य होगा। • समस्त आवश्यक विभिन्न संस्थाओं से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होगा। • आवेदक द्वारा तकनीकी डी0पी0आर0 प्रेषित करनी होगी। • आवेदक द्वारा तकनीकी व्यक्तियों को रखना आवश्यक होगा। • आवेदक दस वर्ष तक प्रोजेक्ट को सक्रिय रूप से संचालित करेगा और यदि वह किसी भी कारण से बीच में बन्द करता है तो अनुदान की धनराशि मय ब्याज के / 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से वसूल कर ली जाएगी। • योजना के अन्तर्गत लाभार्थी अंश का कम से कम 25 प्रतिशत धनराशि बैंक ऋण के माध्यम से लिया जाना अनिवार्य होगा।
1.2	मत्स्य बीज रियरिंग यूनिट का निर्माण	7.00 लाख / यूनिट	• आवेदक के पास कम से कम 0.2 हे0 निजी भूमि या आवेदन प्रेषित करने के समय 07 वर्ष रजिस्टर्ड पट्टा की भूमि होनी चाहिए। • एक आवेदक के लिए 2.0हे0 की सीमा तक ही अनुदान अनुमन्य होगा। • लाभार्थी अंश के रूप में धनराशि का व्यय करने हेतु बैंक का स्वीकृति पत्र या स्वयं के संसाधनों से करने हेतु सहमति पत्र देना होगा। • आवेदक द्वारा तकनीकी डी0पी0आर0 प्रेषित करनी होगी। • आवेदक सात वर्ष तक प्रोजेक्ट को सक्रिय रूप से संचालित करेगा और यदि वह किसी भी कारण से बीच में बन्द करता है तो अनुदान की धनराशि मय ब्याज के 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बसूल कर ली जाएगी
1.3	निजी भूमि पर तालाब निर्माण एवं निवेश	11.00 लाख / यूनिट	• आवेदक के पास कम से कम 0.2 हे0 निजी भूमि या आवेदन प्रेषित करने के समय 07 वर्ष रजिस्टर्ड पट्टा की भूमि होनी चाहिए। • एक आवेदक के लिए 2.0 हे0 की सीमा तक

			ही अनुदान अनुमन्य होगा। • लाभार्थी अंश के रूप में धनराशि का व्यय करने हेतु बैंक का स्वीकृति पत्र या स्वयं के संसाधनों से करने हेतु सहमति पत्र देना होगा। • आवेदक द्वारा तकनीकी डी0पी0आर0 प्रेषित करनी होगी। • आवेदक सात वर्ष तक प्रोजेक्ट को सक्रिय रूप से संचालित करेगा और यदि वह किसी भी कारण से बीच में बन्द करता है तो अनुदान की धनराशि मय ब्याज के/12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से वसूल कर ली जाएगी।
1.4	खारे पानी में नये तालाबों का निर्माण एवं निवेश	14.00 लाख/हे0	• आवेदक के पास कम से कम 0.2 हे0 निजी भूमि या आवेदन प्रेषित करने के समय 07 वर्ष रजिस्टर्ड पट्टा की भूमि होनी चाहिए तथा खारे पानी का श्रोत व उसकी लैब से जॉच रिपोर्ट आवश्यक है। • एक आवेदक के लिए 2.0 हे0 की सीमा तक ही अनुदान अनुमन्य होगा। • लाभार्थी अंश के रूप में धनराशि का व्यय करने हेतु बैंक का स्वीकृति पत्र या स्वयं के संसाधनों से करने हेतु सहमति पत्र देना होगा। • आवेदक द्वारा तकनीकी डी0पी0आर0 प्रेषित करनी होगी। • आवेदक सात वर्ष तक प्रोजेक्ट को सक्रिय रूप से संचालित करेगा और यदि वह किसी भी कारण से बीच में बन्द करता है तो अनुदान की धनराशि मय ब्याज के 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से वसूल कर ली जाएगी।
1.5	मीठा पानी बायोफ्लॉक तालाबों का निर्माण (निवेश धनराशि 4.00 लाख/हे0 सहित) खारा पानी बायोफ्लॉक तालाबों का निर्माण (निवेश धनराशि 8.00 लाख/हे0 सहित	14.00 लाख/0.1 हे0 18.00 लाख/0.1 हे0	• आवेदक के पास कम से कम 0.1 हे0 निजी भूमि या आवेदन प्रेषित करने के समय 07 वर्ष रजिस्टर्ड पट्टा की भूमि होनी चाहिए तथा खारे पानी का श्रोत व उसकी लैब से जॉच रिपोर्ट आवश्यक है। • एक आवेदक के लिए 0.1 हे0 की 2 यूनिट की सीमा तक ही अनुदान अनुमन्य होगा। • लाभार्थी अंश के रूप में धनराशि का व्यय करने हेतु बैंक का स्वीकृति पत्र या स्वयं के संसाधनों से करने हेतु सहमति पत्र देना होगा। • आवेदक द्वारा तकनीकी डी0पी0आर0 प्रेषित करनी होगी। • आवेदक सात वर्ष तक प्रोजेक्ट को सक्रिय रूप से संचालित करेगा और यदि वह किसी भी कारण से बीच में बन्द करता है तो अनुदान की धनराशि मय ब्याज के 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से वसूल कर ली जाएगी।

1.6	जलाशयों में मत्स्य अंगुलिका का संचय	3 रुपये प्रति मत्स्य अंगुलिका	• इसे समूह गतिविधि के रूप में अनुमोदित किया जाएगा। लाभार्थी पूर्ण औचित्य और जलाशयों के विवरण आदि के साथ स्वतः स्पष्ट प्रस्ताव/ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) प्रस्तुत करेंगे। व्यक्तिगत परियोजना परिव्यय मत्स्यपालन विभाग द्वारा तय किया जाएगा। • डी.पी.आर. में प्रत्याशित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन, मछली उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि, स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार, परियोजना के कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट समय सीमा आदि का विवरण भी शामिल किया जाएगा। • लाभार्थी संबंधित राज्य / संघ राज्य क्षेत्र की सरकार और अन्य सक्षम प्राधिकारियों से मछली पकड़ने सहित जलाशयों में मछली स्टाकिंग के लिए आवश्यक पूर्व अनुमति प्राप्त करेंगे। • डी.पी.आर. में मछली स्टॉक को स्टॉक करने में लगने वाले परिश्रम और पारदर्शिता, स्टॉकिंग में लगने वाली समय अवधि और दोहन आदि के बारे में स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए। • 80–100 मि.मी के जलाशय के मत्स्य अंगुलिका का 200 हेक्टेयर से ऊपर छोटे, मध्यम और बड़े जलाशयों में संचय करने हेतु सहायता।
2	**सजावटी और मनोरंजक मत्स्य पालन का विकास**		
2.1	बैकयार्ड/दूर्वा–क्षेत्र में सजावटी मछली पालन (मीठा पानी)	3.00 लाख/यूनिट	• आवेदक के पास कम से कम 300 वर्ग मी0 निजी भूमि या आवेदन प्रेषित करने के समय 07 वर्ष रजिस्टर्ड पट्टा की भूमि होनी चाहिए • एक आवेदक के लिए एक यूनिट की सीमा तक ही अनुदान अनुमन्य होगा । • स्वयं सहायता समूह/ज्वाइन्ट लाइविल्टी ग्रुप, एफ0एफ0पी0ओ0 व मत्स्य जीवी सहकारी समितियों के लिए सदस्यों की संख्या के आधार पर 20 यूनिट की सीमा तक अनुदान अनुमन्य होगा। • लाभार्थी अंश के रूप में धनराशि का व्यय करने हेतु बैंक का स्वीकृति पत्र या स्वयं के संसाधनों से करने हेतु सहमति पत्र देना होगा। • आवेदक द्वारा तकनीकी डी0पी0आर0 प्रेषित करनी होगी। • आवेदक सात वर्ष तक प्रोजेक्ट को सक्रिय रूप से संचालित करेगा और यदि वह किसी भी कारण से बीच में बन्द करता है तो अनुदान

			की धनराशि मय ब्याज के 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से वसूल कर ली जाएगी।
2.2	मध्यम सजावटी मछली पालन (मीठा पानी)	8.00 लाख/यूनिट	• आवेदक के पास कम से कम 150 वर्ग मी0 निजी भूमि या आवेदन प्रेषित करने के समय 07 वर्ष रजिस्टर्ड पट्टा की भूमि होनी चाहिए • एक आवेदक के लिए एक यूनिट की सीमा तक ही अनुदान अनुमन्य होगा । • स्वयं सहायता समूह/ज्वाइन्ट लाइविल्टी ग्रुप, एफ0एफ0पी0ओ0 व मत्स्य जीवी सहकारी समितियों के लिए सदस्यों की संख्या के आधार पर 20 यूनिट की सीमा तक अनुदान अनुमन्य होगा। • लाभार्थी अंश के रूप में धनराशि का व्यय करने हेतु बैंक का स्वीकृति पत्र या स्वयं के संसाधनों से करने हेतु सहमति पत्र देना होगा। • आवेदक द्वारा तकनीकी डी0पी0आर0 प्रेषित करनी होगी। • आवेदक सात वर्ष तक प्रोजेक्ट को सक्रिय रूप से संचालित करेगा और यदि वह किसी भी कारण से बीच में बन्द करता है तो अनुदान की धनराशि मय ब्याज के 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से वसूल कर ली जाएगी।
2.3	एकीकृत सजावटी मछली (ताजे पानी में प्रजनन एवं पालन-पोषण)	25.00 लाख/यूनिट	• आवेदक के पास कम से कम 500 वर्ग मी0 निजी भूमि या आवेदन प्रेषित करने के समय 07 वर्ष रजिस्टर्ड पट्टा की भूमि होनी चाहिए • एक आवेदक के लिए एक यूनिट की सीमा तक ही अनुदान अनुमन्य होगा । • स्वयं सहायता समूह/ज्वाइन्ट लाइविल्टी ग्रुप, एफ0एफ0पी0ओ0 व मत्स्य जीवी सहकारी समितियों के लिए सदस्यों की संख्या के आधार पर 20 यूनिट की सीमा तक अनुदान अनुमन्य होगा। • लाभार्थी अंश के रूप में धनराशि का व्यय करने हेतु बैंक का स्वीकृति पत्र या स्वयं के संसाधनों से करने हेतु सहमति पत्र देना होगा। • आवेदक द्वारा तकनीकी डी0पी0आर0 प्रेषित करनी होगी। • आवेदक सात वर्ष तक प्रोजेक्ट को सक्रिय रूप से संचालित करेगा और यदि वह किसी भी कारण से बीच में बन्द करता है तो अनुदान की धनराशि मय ब्याज के 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से वसूल कर ली जाएगी। • योजना के अन्तर्गत लाभार्थी अंश का कम से कम 25 प्रतिशत धनराशि बैंक ऋण के माध्यम से लिया जाना अनिवार्य होगा।
2.4	मनोरंजन फिशरीज का	50.00	• आवेदक के पास कम से कम 4000 वर्ग मी0

	विकास	लाख / यूनिट	निजी भूमि या आवेदन प्रेषित करने के समय 10 वर्ष रजिस्टर्ड पट्टा की भूमि होनी चाहिए • एक आवेदक के लिए एक यूनिट की सीमा तक ही अनुदान अनुमन्य होगा । • लाभार्थी अंश के रूप में धनराशि का व्यय करने हेतु बैंक का स्वीकृति पत्र या स्वयं के संसाधनों से करने हेतु सहमति पत्र देना होगा। • आवेदक द्वारा तकनीकी डी0पी0आर0 प्रेषित करनी होगी। • आवेदक दस वर्ष तक प्रोजेक्ट को सक्रिय रूप से संचालित करेगा और यदि वह किसी भी कारण से बीच में बन्द करता है तो अनुदान की धनराशि मय ब्याज के 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से वसूल कर ली जाएगी। • योजना के अन्तर्गत लाभार्थी अंश का कम से कम 25 प्रतिशत धनराशि बैंक ऋण के माध्यम से लिया जाना अनिवार्य होगा।

3	**तकनीकी का इन्फ्यूशन व ऐडैप्टेशन**		
3.1	• वृहद रिर्सकुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम की स्थापना (08 टैंक सहित न्यूनतम 90मी0^3 / टैंक, क्षमता 40टन / फसल), बायोफ्लाक (04 मी0 व्यास व 1.5 मी0 ऊंचाई / टैंक सहित 50 टैंक का निर्माण) • मध्याकार रिर्सकुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम की स्थापना (06 टैंक सहित न्यूनतम 30मी0^3 / टैंक, क्षमता 10टन / फसल), बायोफ्लाक ((04 मी0 व्यास व 1 मी0 ऊंचाई / टैंक सहित 25 टैंक का निर्माण)) • लघु रिर्सकुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम की स्थापना (न्यूनतम 100मी0^3 का 01 टैंक) बायोफ्लाक ((04 मी0 व्यास व 1. 5 मी0 ऊंचाई / टैंक	50.00 लाख / यूनिट 25.00 लाख / यूनिट 7.50 लाख / यूनिट	• आवेदक के पास कम से कम बृहद आर0ए0एस0हेतु 2000 वर्ग मी0 निजी भूमि, मध्याकार आर0ए0एस0 हेतु 1000 वर्ग मी0 एवं लघु आर0ए0एस0 हेतु 500 वर्ग मी0 आवेदन प्रेषित करने के समय 10 वर्ष रजिस्टर्ड पट्टा की भूमि होनी चाहिए । • एक आवेदक के लिए एक यूनिट की सीमा तक ही अनुदान अनुमन्य होगा । • आर0ए0एस0 के समस्त आवश्यक कम्पोनेंट मानक के अनुसार बनाना अनिवार्य होगा। जिसमें वाटर ट्रीटमेंट यूनिट बनाना अनिवार्य होगा। • लाभार्थी अंश के रूप में धनराशि का व्यय करने हेतु बैंक का स्वीकृति पत्र के साथ स्वयं के संसाधनों से करने हेतु सहमति पत्र देना होगा। • स्वयं सहायता समूह / ज्वाइन्ट लाइविल्टी ग्रुप, एफ0एफ0पी0ओ0 व मत्स्य जीवी सहकारी समितियों के लिए 02 यूनिट बृहद आर0ए0एस0,03 यूनिट मध्याकार आर0ए0एस0 व 04 यूनिट लघु आर0ए0एस0 की सीमा तक अनुदान अनुमन्य होगा। • आवेदक द्वारा तकनीकी डी0पी0आर0 प्रेषित करनी होगी। • आवेदक दस वर्ष तक प्रोजेक्ट को सक्रिय रूप से संचालित करेगा और यदि वह किसी भी कारण से बीच में बन्द करता है तो अनुदान की धनराशि मय ब्याज के 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की

	सहित 7 टैंक का निर्माण))		दर से बसूल कर ली जाएगी। • योजना के अन्तर्गत रु० 20.00 लाख से अधिक परियोजना लागत की परियोजनाओं मे लाभार्थी अंश का कम से कम 25 प्रतिशत धनराशि बैंक ऋण के माध्यम से लिया जाना अनिवार्य होगा।
3.2	बैकयार्ड रिर्सकुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम की स्थापना	0.50 लाख/यूनिट	• आवेदक के पास अपना घर होना आवश्यक है,जिसमें मत्स्य पालन के टैंक बनाने हेतु खाली जगह होनी चाहिए। आवेदक के पास घर होने के रजिस्टर्ड अभिलेख या ग्राम सचिव द्वारा जारी घरौनी होनी चाहिए या आवेदन प्रेषित करने के समय 10 वर्ष रजिस्टर्ड पट्टा की भूमि होनी चाहिए। • एक आवेदक के लिए एक यूनिट की सीमा तक ही अनुदान अनुमन्य होगा । • आर0ए0एस0 के समस्त आवश्यक कम्पोनेंट मानक के अनुसार बनाना अनिवार्य होगा। जिसमें वाटर ट्रीटमेंट यूनिट बनाना अनिवार्य होगा। • लाभार्थी अंश के रूप में धनराशि का व्यय करने हेतु बैंक का स्वीकृति पत्र के साथ स्वयं के संसाधनों से करने हेतु सहमति पत्र देना होगा। • स्वयं सहायता समूह/ ज्वाइन्ट लाइविल्टी ग्रुप, एफ0एफ0पी0ओ0 व मत्स्य जीवी सहकारी समितियों के लिए सदस्यों की संख्या के आधार पर 20 यूनिट की सीमा तक अनुदान अनुमन्य होगा। • आवेदक द्वारा तकनीकी डी0पी0आर0 प्रेषित करनी होगी। • आवेदक दस वर्ष तक प्रोजेक्ट को सक्रिय रूप से संचालित करेगा और यदि वह किसी भी कारण से बीच में बन्द करता है तो अनुदान की धनराशि मय ब्याज के 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से वसूल कर ली जाएगी।
4	**कोल्ड स्टोरेज/आईस प्लांट का निर्माण**		
4.1	प्लांट/स्टोरेज (न्यूनतम क्षमता 10, 20, 30 व टन)	40.00 लाख/यूनिट 80.00 लाख/यूनिट 120.00 लाख/यूनिट 150.00 लाख/यूनिट	• आवेदक के पास कम से कम 0.5 हे0 निजी भूमि या आवेदन प्रेषित करने के समय 10 वर्ष रजिस्टर्ड पट्टा की भूमि होनी चाहिए। • लाभार्थी अंश के रूप में धनराशि का व्यय करने हेतु बैंक का स्वीकृति पत्र या स्वयं के संसाधनों से करने हेतु सहमति पत्र देना होगा। • कोल्ड स्टोरेज में समस्त आवश्यक कम्पोनेंट मानक के अनुसार बनाना अनिवार्य होगा। • समस्त आवश्यक विभिन्न संस्थाओं से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होगा। • आवेदक द्वारा तकनीकी डी0पी0आर0 प्रेषित करनी होगी।

			• आवेदक द्वारा तकनीकी व्यक्तियों को रखना आवश्यक होगा। • आवेदक दस वर्ष तक प्रोजेक्ट को सक्रिय रूप से संचालित करेगा और यदि वह किसी भी कारण से बीच में बन्द करता है तो अनुदान की धनराशि मय ब्याज के 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से वसूल कर ली जाएगी। • योजना के अन्तर्गत लाभार्थी अंश का कम से कम 25 प्रतिशत धनराशि बैंक ऋण के माध्यम से लिया जाना अनिवार्य होगा।
4.2	• इंसुलेटिड वाहन • मोटर साईकिल विद आईस बॉक्स • साईकिल विद आईस बॉक्स • थ्री व्हीलर विद आईस बॉक्स • लाइव फिश वेन्डिंग सेन्टर	20.00 लाख/यूनिट 0.75 लाख/यूनिट 0.10 लाख/यूनिट 3.00 लाख/यूनिट 20.00 लाख/यूनिट	• आवेदक मछली बेचने व मछली की ट्रेडिंग का कार्य करने का इच्छुक हो । • लाभार्थी अंश के रूप में धनराशि का व्यय करने हेतु बैंक का स्वीकृति पत्र या स्वयं के संसाधनों से करने हेतु सहमति पत्र देना होगा। • आवेदक द्वारा तकनीकी डी0पी0आर0 प्रेषित करनी होगी। • आवेदक दस वर्ष तक प्रोजेक्ट को सक्रिय रूप से संचालित करेगा और यदि वह किसी भी कारण से बीच में बन्द करता है या अन्य किसी कार्य हेतु प्रयोग करता है तो अनुदान की धनराशि मय ब्याज के 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से वसूल कर ली जाएगी।
4.3	फिश फीड़ मिल		
	• लघु मत्स्य आहार मिल (उत्पादन क्षमता 02 टन/दिन) • मध्याकार मत्स्य आहार मिल (उत्पादन क्षमता 08 टन/दिन) • वृहद मत्स्य आहार मिल (उत्पादन क्षमता 20 टन/दिन • मत्स्य आहार प्लांट (उत्पादन क्षमता 100 टन/दिन)	30.00 लाख/यूनिट 100.00 लाख/यूनिट 200.00 लाख/यूनिट 650.00 लाख/यूनिट	• आवेदक के पास कम से कम लघु फीड मिल हेतु 300 वर्ग मी0, मध्याकार हेतु 500 वर्ग मी0, बृहद हेतु 1500 वर्ग मी0 एवं अहार प्लांट हेतु 4000 वर्ग मी0 निजी भूमि या आवेदन प्रेषित करने के समय 10 वर्ष रजिस्टर्ड पट्टा की भूमि होनी चाहिए। • लाभार्थी अंश के रूप में धनराशि का व्यय करने हेतु बैंक का स्वीकृति पत्र या स्वयं के संसाधनों से करने हेतु सहमति पत्र देना होगा। • मत्स्य आहार मिल में समस्त आवश्यक कम्पोनेंट मानक के अनुसार बनाना अनिवार्य होगा। • समस्त आवश्यक विभिन्न संस्थाओं से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होगा। • आवेदक द्वारा तकनीकी डी0पी0आर0 प्रेषित करनी होगी। • आवेदक दस वर्ष तक प्रोजेक्ट को सक्रिय रूप से संचालित करेगा और यदि वह किसी भी कारण से बीच में बन्द करता है तो अनुदान की धनराशि मय ब्याज के 12 प्रतिशत प्रति वर्ष

			की दर से वसूल कर ली जाएगी। • योजना के अन्तर्गत लाभार्थी अंश का कम से कम 25 प्रतिशत धनराशि बैंक ऋण के माध्यम से लिया जाना अनिवार्य होगा।
5	**मत्स्य बाजार एंव विपणन एवं जल जीव स्वास्थ्य**		
5.1	फिश कियोस्क का निर्माण/एक्योरियम व सजावटी मछली सहित	10.00 लाख/यूनिट	• आवेदक के पास कम से कम 50 वर्ग मी0 निजी भूमि या आवेदन प्रेषित करने के समय 10 वर्ष रजिस्टर्ड पट्टा की भूमि होनी चाहिए। • लाभार्थी अंश के रूप में धनराशि का व्यय करने हेतु बैंक का स्वीकृति पत्र या स्वयं के संसाधनों से करने हेतु सहमति पत्र देना होगा। • फिश कियोस्क के समस्त आवश्यक कम्पोनेंट मानक के अनुसार बनाना अनिवार्य होगा। • समस्त आवश्यक विभिन्न संस्थाओं से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होगा। • आवेदक द्वारा तकनीकी डी0पी0आर0 प्रेषित करनी होगी। • आवेदक दस वर्ष तक प्रोजेक्ट को सक्रिय रूप से संचालित करेगा और यदि वह किसी भी कारण से बीच में बन्द करता है तो अनुदान की धनराशि मय ब्याज के 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बसूल कर ली जाएगी। • शहरी क्षेत्र में यूनिट स्थापित करने हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।
5.2	मछलियों में होने वाली बीमारियों के निदान हेतु उच्च स्तरीय टेस्टिंग लैब की स्थापना	25.00 लाख/यूनिट	• आवेदक के पास कम से कम 1000 वर्ग मी0 निजी भूमि या आवेदन प्रेषित करने के समय 07 वर्ष रजिस्टर्ड पट्टा की भूमि होनी चाहिए। • आवेदक की शैक्षिक योग्यता – फिशरीज साइंस/ जीव विज्ञान/मैरीन वायोलॉजी/ माईक्रोवायोलॉजी/बायो केमिस्ट्री में स्नातक होना चाहिए। • लाभार्थी अंश के रूप में धनराशि का व्यय करने हेतु बैंक का स्वीकृति पत्र या स्वयं के संसाधनों से करने हेतु सहमति पत्र देना होगा। • लैव के समस्त आवश्यक कम्पोनेंट मानक के अनुसार बनाना अनिवार्य होगा। • मोबाइल लेब हेतु मानक के अनुसार व्हीकल क्रय करना अनिवार्य होगा। • समस्त आवश्यक विभिन्न संस्थाओं से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होगा। • आवेदक द्वारा तकनीकी डी0पी0आर0 प्रेषित करनी होगी। • आवेदक सात वर्ष तक प्रोजेक्ट को सक्रिय रूप से संचालित करेगा और यदि वह किसी भी
5.3	मछलियों में होने वाली बीमारियों के निदान हेतु उच्च स्तरीय मोबाइल लैब/क्लनीक की स्थापना	35.00 लाख/यूनिट	

			कारण से बीच में बन्द करता है तो अनुदान की धनराशि मय ब्याज के 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से सूल कर ली जाएगी। • शहरी क्षेत्र में रहने वालों को प्राथमिकता दी जायेगी। • योजना के अन्तर्गत लाभार्थी अंश का कम से कम 25 प्रतिशत धनराशि बैंक ऋण के माध्यम से लिया जाना अनिवार्य होगा।

6	**मत्स्य विस्तार एवं समर्थन सेवाएं**		
6.1	मत्स्य प्रसार हेतु मत्स्य सेवा केन्द्र/वन–स्टोप–सेन्टर की स्थापना	25.00 लाख/यूनिट	• आवेदक के पास कम से कम 1000 वर्ग मी0, निजी भूमि या आवेदन प्रेषित करने के समय 07 वर्ष रजिस्टर्ड पट्टा की भूमि होनी चाहिए। • आवेदक की शैक्षिक योग्यता – फिशरीज साइंस/ जीव विज्ञान/मैरीन वायोलॉजी/माईक्रोवायोलॉजी/ वायो केमिस्ट्री में स्नातक होना चाहिए। • लाभार्थी अंश के रूप में धनराशि का व्यय करने हेतु बैंक का स्वीकृति पत्र या स्वयं के संसाधनों से करने हेतु सहमति पत्र देना होगा। • लैव के समस्त आवश्यक कम्पोनेंट मानक के अनुसार बनाना अनिवार्य होगा। • मोबाइल लेब हेतु मानक के अनुसार व्हीकल क्रय करना अनिवार्य होगा। • समस्त आवश्यक विभिन्न संस्थाओं से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होगा। • आवेदक द्वारा तकनीकी डी0पी0आर0 प्रेषित करनी होगी। • आवेदक सात वर्ष तक प्रोजेक्ट को सक्रिय रूप से संचालित करेगा और यदि वह किसी भी कारण से बीच में बन्द करता है तो अनुदान की धनराशि मय ब्याज के 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बसूल कर ली जाएगी। • योजना के अन्तर्गत लाभार्थी अंश का कम से कम 25 प्रतिशत धनराशि बैंक ऋण के माध्यम से लिया जाना अनिवार्य होगा।
7	मत्स्य पालन संसाधनों के संरक्षण के लिए आजीविका और पोषण संबंधी सहायता		
7.1	मछली पकड़ने के प्रतिबंध/दुर्बल अवधि के दौरान मत्स्य पालन संसाधनों के संरक्षण के लिए पिछड़े हुए सक्रिय पारंपरिक मछुआरों के परिवारों के लिए	**अंशदान** केंद्र सहायता रु 1500 + राज्य सहायता + रु 1500 और लाभार्थी अंश रु 1500 =रु 4500	• लाभार्थी पूर्णकालिक सक्रिय मछुआरा होना चाहिए। • लाभार्थी एक कार्यात्मक स्थानीय मछुआरा सहकारी समिति/महासंघ/किसी अन्य पंजीकृत निकाय का सदस्य होना चाहिए। • लाभार्थी गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) और 18 से 60 वर्ष की आयु के बीच होना चाहिए।

	आजीविका और पोषण संबंधी सहायता		• लाभार्थी मछुआरा राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के मत्स्यपालन विभाग द्वारा नामित बैंक के साथ उनके अंशदान के संबंध में मछली पकड़ने के मौसम के दौरान वर्ष भर में 9 महीने की अवधि में 1500 रुपये बचत करेगा। • राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इस गतिविधि की पारदर्शिता और उसके सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त तौर–तरीकों की जानकारी देगा। • लाभार्थियों के चयन की शुद्धता और लाभार्थियों की प्रमाणिकता के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जिम्मेदार होंगे। इस आशय का एक प्रमाण पत्र राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्वतः स्पष्ट परियोजना प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। राज्य के बजट में बजटीय आवंटन की उपलब्धता को भी इंगित किया जाना चाहिए। • ऊपर बताई गई 4500 रुपये की संचित राशि से संबंधित राज्य संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नामांकित लाभार्थी को 1500/– रुपये प्रति माह की दर से वितरित की जाएगी।